2020/00216

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

ी विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नानुराम आदिवाल
निवासी आबूपर्वत तहसील आबूरोड़
जिला सिरोही

लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

केस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 18 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
7.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 28.08.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री जीतेन्द्र कुमार पुत्र श्री चम्पालाल निवासी सिरोही व श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री प्रेमाजी निवासी आकराभटटा के तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के प्रथम नियुक्ति आदेश से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सिरोही से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– लोक सूचना अधिकारी को जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 28.08.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री जीतेन्द्र कुमार पुत्र श्री चम्पालाल निवासी सिरोही व श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री प्रेमाजी निवासी आकराभटटा के तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के प्रथम नियुक्ति आदेश से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सिरोही से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । इस कार्यालय के पत्र क्रं. 637 दिनांक 05.09.2019 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही से सम्बन्धित होने के कारण भेजा गया। जिसके द्वारा पत्र क्रं. 943–44 दिनांक 19.09.2019 को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शिक्षा) सिरोही को भेजा गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सिरोही व ज़िला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शिक्षा) सिरोही के अपील अधिकारी जिला क[illegible] हैं । अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती हैं [illegible] अधिकारी को अपील करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से [illegible] (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	237-38 13/8

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:46:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner